(2139)

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्रमांक/व्यापम/5–प–1/ 29/8465/2014 भोपाल, दिनांक :31 दिसम्बर 2014

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर व्यापम द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष–2012 का आयोजन दिनांक 10.06.2012 को किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम व्यापम द्वारा दिनांक 20.06.2012 को घोषित किया गया था। पीएमटी परीक्षा 2012 में अनियमितता ज्ञात होने पर थाना स्पेशल टॉस्क फोर्स, भोपाल में अपराध प्रकरण क्रमांक 12/13 पंजीबद्ध किया गया है।

2. कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक–समनि/एसटीएफ/मुख्यालय/2014 एचक्यू–87 दिनांक 28.01.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पीएमटी परीक्षा 2012 में सम्मिलित 14 अभ्यर्थियों की व्यापम से जप्त ओएमआर उत्तरशीट की क्यूडी (राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख) पुलिस मुख्यालय, भोपाल से जॉच कराये जाने पर ओएमआर उत्तरशीटस में अलग–अलग स्याही से गोले भरे जाने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर व्यापम के आदेश क्रमांक व्यापम/5–प–1/2523/2014 भोपाल दिनांक 24.04.2014 के द्वारा **14 अभ्यर्थियों** के परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये थे।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक–8394/2014 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 के द्वारा व्यापम के उपरोक्त आदेश दिनांक 24.04.2014 को खारिज किया गया है। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/उपुअ/एसटीएफ/2014–(एचक्यू–1679) भोपाल, दिनांक 29.11.2014 के द्वारा ओएमआर उत्तरशीट में इंक मिसमैच एवं स्केनिंग के दौरान स्कैन डाटा में छेड़छाड़/हेराफेरी पाये जाने वाले **19 अभ्यर्थियों** (पूर्व के 14 अभ्यर्थियों के साथ अन्य 05 अभ्यर्थियों को समाहित करते हुये) के विरूद्ध उनके कृत्य, साक्ष्य एवं दस्तोवजों की विवरण सूची व्यापम को उपलब्ध कराई गई ।

4. एसटीएफ, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन दस्तावेजों यथा आरोपी के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य, एफआईआर, संबंधित ओएमआर उत्तरशीटों का रिट्रीव डाटा, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी पत्रक, जप्ती पत्रक, नितिन मोहिन्द्रा के कम्प्यूटर की जप्त हार्डडिस्क के रिट्रीव डाटा में प्राप्त एक्सेल फाईल शीट, स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन का अभिमत, अलग–अलग इंक से लगाये गये उत्तरों की मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्याकंन रिपोर्ट, व्यापम में उपलब्ध मॉडल उत्तर कुंजी, विभिन्न इंक से लगाये गये उत्तरों एवं उनमें से सही उत्तरों के आधार पर समिति द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक प्रतिशत रिपोर्ट, परिणाम व कट ऑफ अंकों की जानकारी एवं ओएमआर उत्तरशीट में काले किये गये गोलों से अंकित उत्तरों के मिलान हेतु सुपरवाईजरों द्वारा तैयार प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण हेतु व्यापम के पत्र क्रमांक व्यापम/5–प–1/8052/2014 भोपाल दिनांक 16.12.2014 द्वारा नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक (कम्प्यूटर) तथा संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

5. समिति द्वारा माह दिसम्बर – 2014 में दिनांक 27, 28, 29 एवं 30 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया। जिसका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है–

(A) **अनु0 कमांक 412116 अनिता कुमारी पिता श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद– अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 29.06.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रेमचन्द्र प्रसाद (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2430116 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 400509 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना तथा 09 उत्तरों में व्हाईट फ्लूड लगा होना भी पाया गया है। दोनों इंक एवं फ्लूड उपरांत लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	फ्लूड उपरांत लगाये गये कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	फ्लूड उपरांत मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये गये सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	फ्लूड उपरांत लगाये गये सही उत्तरों का प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
61	**130**	**09**	**31**	**129**	**09**	**50.81**	**99.23**	**100.00**	**80**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है						

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक एवं फलूड लगाकर लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 139 उत्तर बाद में तथा स्कैनिंग पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 61 उत्तर ही अंकित किये गये थे । इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 61 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 80 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8073/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी के पिता श्री प्रेमचन्द्र प्रसाद द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12. 2014 को फैक्स के माध्यम से व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। समिति द्वारा अभ्यर्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि उनके द्वारादिनांक 26.12.2014 को पत्र प्राप्त होने के संबंध में अवगत कराया गया है एवं उनकी पुत्री पर लगाये गये आरोपों को गलत एवं निराधर बताया गया है तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु अन्य तिथि दिये जाने का भी अनुरोध किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय की गई समय–सीमा के कारण अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप इनके पिता द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को अमान्य करते हुये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(B) अनु0 कमांक 412930 हर्षिता मिश्रा पिता श्री ज्ञानेन्द्र मिश्रा– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 13.04.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2430983 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 200723 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंट्स, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना पाया गया है। दोनों इंक से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	अनारक्षित/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77	**123**	**61**	**118**	**79.22**	**95.93**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है				

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक से लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत, अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 123 उत्तर बाद में लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 77 उत्तर ही अंकित किये गये थे इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 77 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8074/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12.2014 तक व्यापम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(C) **अनु0 कमांक 413125 कु0 निशी जैन पिता डॉ. केसरीचंद जैन– अनारक्षित/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 05.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा संतोष गुप्ता एवं तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2431275 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 300779 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना तथा 10 उत्तरों में व्हाईट फ्लूड लगा होना भी पाया गया है। दोनों इंक एवं फ्लूड उपरांत लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	फ्लूड उपरांत लगाये गये कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	फ्लूड उपरांत मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये गये सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	फ्लूड उपरांत लगाये गये सही उत्तरों का प्रतिशत	अनारक्षित/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
58	**132**	**10**	**33**	**125**	**10**	**56.89**	**94.69**	**100.00**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है						

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक एवं फलूड लगाकर लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 142 उत्तर बाद में तथा स्कैनिंग पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 58 उत्तर ही अंकित किये गये थे । इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर होने पर अधिकतम 58 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8074(A)/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 27.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया । उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

2143

(D) अनु0 कमांक 413701 रोशनी पटेल पिता श्री मोहनलाल पटेल– अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 21.06.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा शौबी उर्फ तनवीर अहमद के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिंग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीटमें गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2431851 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 300928 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना तथा 18 उत्तरों में व्हाईट फ्लूड लगा होना भी पाया गया है। दोनों इंक एवं फ्लूड उपरांत लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	फ्लूड उपरांत लगाये गये कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	फ्लूड उपरांत मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये गये सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	फ्लूड उपरांत लगाये गये सही उत्तरों का प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
57	**125**	**18**	**28**	**125**	**16**	**49.12**	**100.00**	**88.88**	**80**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है						

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक एवं फलूड लगाकर लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 143 उत्तर बाद में तथा स्कैनिंग पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 57 उत्तर ही अंकित किये गये थे । इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 57 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 80 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8075/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12.2014 तक व्यापम में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदक के मत को समिति द्वारा विचार क्षेत्र में न लेते हुये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(E) **अनु0 कमांक 441124 रविना असरानी पिता श्री राजेश असरानी– अनारक्षित/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 13.01.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2457874 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 407121 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना पाया गया है। दोनों इंक से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	अनारक्षित/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72	**128**	**51**	**124**	**70.83**	**96.87**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है				

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक से लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत, अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 128 उत्तर बाद में लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती हैकिअभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 72 उत्तर ही अंकित किये गये थे इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 72 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8077/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(F) अनु0 कमांक 442896 गुनीता बंसल पिता डॉ. अमरदीप सिंह बंसल– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कंमाक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 16.04.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा एवं संतोष गुप्ता (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2459896 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 307582 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन ;ण्क।ज्द्ध होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना तथा 03 उत्तरों में व्हाईट फ्लूड लगा होना भी पाया गया है। दोनों इंक एवं फ्लूड उपरांत लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	फ्लूड उपरांत लगाये गये कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	फ्लूड उपरांत मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये गये सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	फ्लूड उपरांत लगाये गये सही उत्तरों का प्रतिशत	अनारक्षित/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
67	**130**	**03**	**55**	**125**	**03**	**82.08**	**96.15**	**100.00**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है						

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक एवं फलूड लगाकर लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 133 उत्तर बाद में तथा स्कैनिंग पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 67 उत्तर ही अंकित किये गये थे । इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 67 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8078/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(G) अनु0 कमांक 447458 वर्षा वर्मा पिता श्री अशोक वर्मा– अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 22.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा तरंग शर्मा एवं संतोष गुप्ता (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2463558 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 408464 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना तथा 01 उत्तरों में व्हाईट फ्लूड लगा होना भी पाया गया है। दोनों इंक एवं फ्लूड उपरांत लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	फ्लूड उपरांत लगाये गये कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	फ्लूड उपरांत मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये गये सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	फ्लूड उपरांत लगाये गये सही उत्तरों का प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
68	**131**	**01**	**53**	**115**	**01**	**77.94**	**87.78**	**100.00**	**80**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है						

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक एवं फलूड लगाकर लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 132 उत्तर बाद में तथा स्कैनिंग पूर्व मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 68 उत्तर ही अंकित किये गये थे । इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 68 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 80 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8080/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(H) **अनु0 कमांक 451652 अजीत यादव पिता श्री रामरक्षपाल सिंह यादव– अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 15.05.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा सुधीर राय, तरंग शर्मा एवं संतोष गुप्ता (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2467438 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 109386 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना पाया गया है। दोनों इंक से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	अनारक्षित/बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	**131**	**42**	**131**	**60.86**	**100.00**	**80**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है				

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक से लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत, अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 131 उत्तर बाद में लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 69 उत्तर ही अंकित किये गये थे इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 69 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अन्य पिछड़ा वर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 80 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8081/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी के द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12.2014 को व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। समिति द्वारा अभ्यर्थी के प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(I) **अनु0 कमांक 455307 चित्रांगना जैन पिता श्री धीरज जैन – अनारक्षित/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 03.04.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा मनीष शर्मा के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं सशोंधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2470129 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 310020 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है। अभ्यर्थी की उत्तरशीट में स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार दो प्रकार की इंक का उपयोग होना पाया गया है। दोनों इंक से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी से परीक्षण करने पर तुलनात्मक प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है–

प्रथम इंक के आधार पर कुल उत्तर	द्वितीय इंक के आधार पर कुल उत्तर	प्रथम इंक एवं मॉडल उत्तर कुंजीके आधार पर सही उत्तर	द्वितीय इंक मॉडल उत्तर कुंजी के के आधार पर सही उत्तर	प्रथम इंक के आधार पर सही उत्तरों का प्रतिशत	द्वितीय इंक के आधार पर सही उत्तर का प्रतिशत	अनारक्षित/ बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	**131**	**54**	**129**	**78.26**	**98.47**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है				

(iii) उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी की ओएमआर उत्तरशीट में द्वितीय इंक से लगाये गये उत्तरों का प्रतिशत, अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में लगाये गये उत्तरों के प्रतिशत से काफी अधिक है । जिसके कारण अभ्यर्थी की उत्तरशीट में 131 उत्तर बाद में लगाये जाने की पुष्टि होती है तथा यह भी पुष्टि होती है कि अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से सिर्फ 69 उत्तर ही अंकित किये गये थे इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 69 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का पीएमटी अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8083/2014 भोपाल, दिनांक 18.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी के द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 26 एवं 27.12.2014 को व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। समिति द्वारा अभ्यर्थी के प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रथम इंक एवं द्वितीय इंक से दिये गये उत्तरों में कमबद्धता नहीं है। सामान्यतः सही अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार उत्तर अंकित नहीं किये हैं। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है।

(2745)

6. उल्लेखित **समस्त 09 प्रकरणों** की व्यापम स्तर से जांच की गई। समिति द्वारा संपादित जांच में निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये :–

(i) अभ्यर्थी की दोनों ओएमआर उत्तरशीटों का परीक्षण करने पर उत्तरशीट में व्यापम के दोनों स्कैन नम्बर मुद्रित पाये गये हैं । जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनर द्वारा मूल रूप से स्कैन किया गया है और उनकी .DAT फाईल तैयार हुई। इससे स्पष्ट होता है कि स्कैनिंग के उपरांत इनके डेटा एवं ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त गोले लगाये गये हैं।

(ii) समस्त प्रकरण ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान किये जाने से संबंधित हैं, जिसका समाधान समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से हो जाता है।

(iii) समिति द्वारा परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में वास्तविक रूप से प्राप्तांकों में गड़बड़ी की गई है और उन्हें प्राप्त होने वाले प्राप्ताकों में वृद्धि कर गलत तरीके से सफल करवाया गया है।

(iv) अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ स्कैन होने के पश्चात् की गई है। जिसका प्रमाणिक तथ्य दो/तीन प्रकार के उत्तरित आकडों की दो/तीन फाईलें कम्प्यूटर से प्राप्त होना है।

(v) मूल स्कैन डेटा फाईल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना दस्तावेजों में हेराफेरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

(vi) परीक्षण से यह भी सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

(vii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में ओएमआर उत्तरशीट की स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम का कार्य नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, अजय कुमार सेन, तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट एवं सी.के. मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर द्वारा डॉ. पंकज त्रिवेदी तत्कालीन नियंत्रक के निर्देशन में संपादित किया गया था।

(viii) एसटीएफ द्वारा इस आपराधिक प्रकरण में इन सभी को भी तथा इनके मध्यस्थों को भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि उपरोक्त परिवर्तन इनके द्वारा/माध्यम से किया गया है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है जिसके कारण से इन 09 अभ्यर्थियों का व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के नियम कमांक– 4.9 के तहत इन प्रकरणों को यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य करते हुये उनके परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
व्यापम, भोपाल

पृ0कमांक/व्यापम/5–प–1/ 35/8466/2014 भोपाल, दिनांक : दिसम्बर 2014

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
व्यापम, भोपाल